

## घोषणा पत्र

### (विनियमनों का 65 नियमन संदर्भित)

मैं, \_\_\_\_\_ श्री/ श्रीमती \_\_\_\_\_ का पुत्र/पुत्री/पत्नी, \_\_\_\_\_ का निवासी, फोलियो क्रमांक \_\_\_\_\_/डीपी आईडी क्रमांक \_\_\_\_\_/ग्राहक संख्या \_\_\_\_\_ के अंतर्गत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के \_\_\_\_\_ समता अंश, प्रति अंश ₹ 10/- (पूर्ण चुकता) यथा 25 मई, 2021 अर्थात् चुनाव में सहभागिता के लिए निर्धारित तारीख एवं विशेष जानकारी अथवा व्यवहारिक अनुभव रखते हुए :\*

- कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था
- बैंकिंग
- सहकारिता
- आर्थिक
- वित्त
- विधि
- लघु उद्योग
- कोई अन्य मामले में व्यवसाय प्रबंधन/ जोखिम प्रबंधन/ वित्त/ मानव संसाधन/ आईटी/ भुगतान एवं निपटान प्रणाली/ आदि की विशेष जानकारी एवं व्यवहारिक अनुभव जिसके अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की राय बैंक अथवा जमाकर्ताओं और/ अथवा किसानों, कारीगर एवं दस्तकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वालों के लिए, बैंकिंग कंपनीज (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप धारा 3ए (और एक साक्ष्य के रूप में मैं एतद्वारा संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करता हूँ) के संदर्भ में उपयोगी होगी, मैं एतद्वारा घोषित करता हूँ कि :

ए) मैं नामांकन क्रमांक \_\_\_\_\_ से \_\_\_\_\_, स्वीकार करता हूँ और

बी) मैं यूनियन बैंक के निदेशक के रूप में चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ और

सी) मैं बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम, 1970 राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970, एवं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (अंश एवं बैठकें) नियमन 1998 के प्रावधानों के अंतर्गत बैंक का निदेशक बनने के अयोग्य नहीं हूँ और

डी) मैं न तो किसी कार्यालय में लाभ के पद पर हूँ और न ही यूनियन बैंक या किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (सब्सिडियरी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में सब्सिडियरी के रूप में वर्णित बैंक का कर्मचारी हूँ और

- मैं भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार उपयुक्त एवं उचित स्तर पाये जाने हेतु विचारार्थ, घोषणा एवं वचन (पीडीयू रूप में), अलग से व्यक्तिगत जानकारी भी प्रस्तुत कर रहा हूँ.

हस्ताक्षर .....

नाम .....

स्थान:

दिनांक :

संलग्नक : उपर्युक्त

उपरोक्त घोषणा पत्र में श्री/ श्रीमती \_\_\_\_\_ द्वारा मेरे सामने हस्ताक्षर किए गए हैं

हस्ताक्षर

सील एवं सत्यापित करने वाले अधिकारी के नाम सहित

नोट : नामांकी द्वारा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, एसयूरेन्स के पंजीयक/ उप-पंजीयक अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के सामने किए जाने चाहिए.

\* जो लागू न हो उसे काट दें.

## DECLARATION

(Refer Regulation 65 of the Regulations)

I, \_\_\_\_\_ son/daughter/wife of Shri/Smt. \_\_\_\_\_, a resident of \_\_\_\_\_ holding \_\_\_\_\_ equity shares of Rs.10/- each (fully paid up) in UNION BANK of INDIA under Folio No. \_\_\_\_\_/DP ID No. \_\_\_\_\_/Client ID No. \_\_\_\_\_ as on **25<sup>th</sup> May 2021** i.e. the cut-off date for participating in the election and having special knowledge or practical experience in:\*

- i) Agriculture and Rural Economy
  - ii) Banking
  - iii) Co-operation
  - iv) Economics
  - v) Finance
  - vi) Law
  - vii) Small Scale Industry
  - viii) Any other matter the special knowledge of Business Management/Risk Management/Finance/Human Resources/IT/Payment and Settlement Systems/ etc. and practical experience in which would in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the bank or representing the interest of Depositors and/or Farmers, Workers and Artisans, in terms of Sub Section 3A of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (and as an evidence thereof I submit herewith the relevant testimonials) hereby declare that
    - a) I accept the nominations numbered from \_\_\_\_\_ to \_\_\_\_\_, and
    - b) I am willing to stand for the election as Director of Union Bank of India and
    - c) I am not disqualified from being a Director of the Bank under the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 and
    - d) I neither hold any office of profit nor an employee of any nationalised Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 and
2. I also submit a separate Personal Information, Declaration and Undertaking(PDU Form ) as per Reserve Bank of India directives to consider for fit and proper status.

Signature .....

Name .....

Place:

Date :

Encl: as above

The above declaration was signed before me by Shri /Smt. \_\_\_\_\_

Signature with Seal and

Name of the attesting official

Note: The declaration must be signed by the nominee before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances, or other Gazetted Officer or an Officer of Reserve Bank of India or any Nationalised Bank.

\* Delete whichever is not applicable.